

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. 2015/TG-1/14/EQ

New Delhi, Dated 21.1.2015

**The General Managers,
All Zonal Railways**

Commercial Circular No. 02 of 2015

Sub: Requisitions for release of Emergency Quota – Reiteration of certain provisions


Instructions were issued vide CC No. 10/2011 dated 9.2.2011 laying down the procedure for submission of requests for release of emergency quota (EQ).

2. It has been noted that though comprehensive instructions on this issue have been laid down, sometimes the requests for EQ are devoid of the details of the passenger travelling and the recommending authority, which hampers the verification process. In view of this, it is reiterated that compliance of provisions contained in para xiii, xvi, and xxi of CC 10/2011 which are reproduced as under, may please be ensured:-

- (i) **Para xiii** – the written requests for release of berths/seats out of emergency quota must be signed by a Gazetted Officer;
- (ii) **Para xvi** – in all the requisitions received for release of berths out of emergency quota, the signatory should be asked to mention his/her telephone no./mobile no.
- (iii) **Para xviii**- it would be the responsibility of the person signing the requisition to ensure the credentials of the party travelling and shall be fully responsible for the same.
- (iv) **Para xxi** – with a view to prevent the malpractices, reservation requests received from various quarters should be checked from time to time and in cases where there is doubt about the genuineness of the request/letter, the position may be checked up by speaking to the persons concerned on phone for ensuring the genuineness of the requisition.

3. It may be ensured that all reservation requisition slips should contain the Name, Designation, and Phone/mobile number of the recommending authority and Name, Address, and Phone/mobile number of any one of the passengers.

4. Necessary instructions in this regard may be issued to all concerned.


(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

No. 2015/TG-1/14/EQ

New Delhi, Dated 21.01.2015

Copy to:

- 1) CCMs, CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
- 2) ADG/PR, EDV (T), DVT-II, V (SS) branches of Railway Board.
- 3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
- 4) General Manager/PRS, General Manager/UTS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
- 5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
- 6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udalpur.
- 7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
- 8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
- 9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
- 10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 13) Secy Gen. All India SC/ST Railway Emp Association
- 14) Secy Genl, All India OBC Railway Employees Association

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2015/टीजी-1/14/ईक्यू

नई दिल्ली, दिनांक 21.1.2015

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 02

विषय: आपात कोटा रिलीज करने के लिए आरक्षण पर्ची से संबंधित कतिपय प्रावधानों को दोहराना।

दिनांक 9.2.2011 के वाणिज्य परिपत्र सं. 10/2011 के तहत अनुदेश जारी किए गए थे जिसमें आपात कोटा (ईक्यू) रिलीज करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

2. यह देखा गया है कि यद्यपि इस मामले पर व्यापक अनुदेश निर्धारित किए गए हैं, फिर भी कभी-कभी आपात कोटा के लिए दिए गए अनुरोध में यात्री और सिफारिश करने वाले अधिकारी का विवरण नहीं होता है जिसके कारण सत्यापन प्रक्रिया में रुकावट आती है। इसको ध्यान में रखते हुए, यह दोहराया जाता है कि वाणिज्य परिपत्र सं. 10/2011 के पैरा xiii, xvi और xxi में निहित प्रावधानों जिन्हें पुनः नीचे दिया गया है, को कृपया सुनिश्चित किया जाए:-

- (i) पैरा xiii- आपात कोटा में से बर्थ/सीट रिलीज करने के लिए लिखित अनुरोध पर किसी राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए;
- (ii) पैरा xvi- आपात कोटा में से बर्थ रिलीज करने के लिए प्राप्त सभी आरक्षण पर्चियों पर हस्ताक्षरकर्ता को अपना टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नम्बर लिखने के लिए कहा जाए;
- (iii) पैरा xviii- यात्रा करने वाली पार्टी की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी आरक्षण पर्ची पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की होगी और वह उसके लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।
- (iv) पैरा xxi- कदाचार रोकने के लिए विभिन्न तिमाहियों में प्राप्त आरक्षण अनुरोधों की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए और यदि अनुरोध/पत्र की यथार्थता के बारे में संदेह हो तो आरक्षण पर्ची की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित व्यक्ति से फोन पर बात करके स्थिति की जांच की जा सकती है।

3. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी आरक्षण पर्चियों पर सिफारिशकर्ता का नाम, पदनाम और फोन/मोबाइल नम्बर और किसी एक यात्री का नाम, पता और फोन/मोबाइल नम्बर हो।

4. इस संबंध में सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।



(विक्रम सिंह)

निदेशक, यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

- 1) सीसीएम, सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) एडीजी/पीआर, ईडीवी(टी), डीवीटी-II, और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
- 3) एम डी/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस, महाप्रबंधक/यूटीएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
- 7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इण्डिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन
- 14) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इण्डिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन